न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 184/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/317

प्रार्थीः– रामेश्वर पुरी पुत्र हजारी पुरी जाति गोस्वामी निवासी बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :– मृतक शिवलाल पुत्र पुखराज जाति लौहार निवासी बगड़ी नगर के विधिक वारिसान –

1. मोतीलाल पुत्र शिवलाल
2. पारस पुत्र शिवलाल जातियान मालवीय लौहार निवासीगण बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. सरपंच ग्राम पंचायत बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
4. ग्राम विकास अधिकारी बगड़ी नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पुनीत दवे उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29/01/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा मिसल संख्या 77 दिनांक 22.12.1989, संकल्प संख्या 3 दिनांक 09.02.1990 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अप्रार्थी प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बगडी नगर में जगननाथ महादेव मंदिर डोली की कृषि भूमि खसरा संख्या 2797, 2799 व 2800 स्थित है जिसमें मंदिर की व्यवस्था एवं पुजा अर्चना प्रार्थी द्वारा की जा रही है। मंदिर की डोली की भूमि के पास ही ग्राम पंचायत बगड़ी की आबादी भूमि खसरा संख्या 2809 स्थित है। उक्त आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टा में 5 फुट भूमि डोली की सम्मिलित करते हुये जारी कर दिया। उक्त आबादी भूमि में अप्रार्थी के पिता के नाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जागीरी के समय से 72 बाई 62 क्षेत्रफल का पट्टा पूर्व में बना हुआ है उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से उक्त माप के स्थान पर 76.6 बाई 82.6 क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा मिसल संख्या 77 दिनांक 22.12.1989, संकल्प संख्या 3 दिनांक 09.02.1990 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 23 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचाायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आबादी भूमि से भिन्न, डोली भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु तहसीलदार सोजत से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2026 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रश्नगत पट्टा जो कि शिवलाल के नाम से जारी किया गया है, उसमें कुछ हिस्सा खसरा संख्या 2797 में अर्थात् डोली की भूमि का कुछ हिस्सा समाहित है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा डोली भूमि को शामिल करते हुये जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में जागीरी के समय दिनांक 11.08.1946 को पट्टा जारी हो चुका है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार सोजत परगना द्वारा इसी भूमि का पूर्व में दिनांक 11.08.1946 पट्टा जारी हो चुका है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार सोजत से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी होती है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह परिलिक्षित होता है कि उपरोक्त दोनों पट्टे एक ही भूमि पर जारी किये गये है अर्थात् ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अंनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर. पाली

जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बगडीनगर द्वारा मिसल संख्या 77 दिनांक 22.12.1989, संकल्प संख्या 3 दिनांक 09.02.1990 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 23 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, ग्राम पंचायत बगड़ीनगर को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली